लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशकः सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन–रामपुर, जिला–गया द्वारा गया, ब्लॉक–42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़–11/12/13), ग्राम–बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल–शेरघाटी, ब्लॉक–42, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 30.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2370/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 30.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 01.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया, ब्लॉक–42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़–11/12/13), ग्राम–बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल– शेरघाटी, ब्लॉक–42, जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार **श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की** सामाजिक जिम्मेदारी **(Corporate Social Responsibility)** आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। **पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में** वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री साकेत कुमार, पताः बी.टी बीधा, शेरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय क्षति के रोक–थाम एवं रोजगार; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। **इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय** सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। **साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–** बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–** लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का

		संचालन नही करने का निदेश दिया गया साथ ही तेज ध्वनि वाला हॉर्न का उपयोग नही करेगें। इसप्रकार श्री साकेत कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री पवन कुमार, पताः शेरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा वृक्षारोपण एवं बालू परिवहन के दौरान मार्ग में पानी छिड़काव; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे खनन अवधि में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। इसप्रकार श्री पवन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री दीपक प्रसाद, पताः बी. टी. बीधा, शेरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम, सड़क टूटने एवं खनन सीमा; से संबंधित प्रश्न पूछा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मती लेसी के द्वारा कराया जायेगा तथा खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आमजन लेसी के विरूद्व जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत कर सकते है। इसप्रकार श्री दीपक प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

4.	श्री संजय कुमार, पताः कठार, शेरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार एवं बालू परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। इसप्रकार श्री संजय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री विवके कुमार, पताः कठार, शेरघाटी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम एवं रोजगार; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री विवेक कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 2 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं

पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,
गया

अपर समाहर्त्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशकः सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन–रामपुर, जिला–गया द्वारा गया, ब्लॉक–42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़–11/12/13), ग्राम–बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवारा, अंचल–शेरघाटी, ब्लॉक–42, जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 30.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालयः शेरघाटी, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजनि कुमार	[illegible]	[signature] 30-8-23
2.	Manoranjan Kr. Singh	R.O., [illegible] Gaya	[signature] 30/8/23
3.	Sudhir [illegible] Co, Sherghati	Circle Office Sherghati	[signature] 30/8/23
4.	Shubham Verma RO, Sherghati	Circle Office, Sherghati	[signature] 30/08/23
5.	Kunal Kashyap	CRIPL	Kunal 30/8/23
6.	Ravindra Kumar [illegible] 9973211541	[illegible]	R K [signature]
7.	Vicky Kumar 9472252142	Saamad bigha Kathar	Vicky Kumar
8.	Golden Singh 8340425075	Sonodhbbigha	Golden Singh

9.	Shashikant Kr Sharma 9097732597	Kathar-tola Sharma Bigha	S.K.Sharma
10.	सर्वेश कुमार सिंह 9546507064	कठार (समोद बिगहा)	[illegible]
11.	सुमित कुमार 9934797365	कठार	सुमित कुमार
12.	युगेश सिंह 9508548631	कठार (समोद बिगहा)	युगेश सिंह
13.	9006272 9629 मेघनकुमार	चैनपुर, शेरघाटी	मेघनकुमार
14.	Gautam Kr. Singh 9199192690	समोद बिगहा शेरघाटी	Gautam Kr. Singh
15.	Surendra Kumar 8700833937	Samod Bigha Sherghati	Surendra [illegible]
16.	BASANT SINGH 9431278424	B.T. Bigha Sherghati Gaya	[illegible] 30/08/202[illegible]
17.	Manoj Kumar Singh 9931537477	B. T. Bigha Sherghati	[illegible]
18.	Dilip Kumar 6206830062	B. T. Bigha Sherghati	Dilip
19.	श्यामानन्द सिंह 9955946452	जेठापुर	[illegible]

20.	Saket Kumar 9771493285	B.T. Bigha Sherghati	[illegible]
21.	[illegible] 9162562840	Samad bigha.	[illegible]
22.	पंकज पांडेय 8851824421	पता औराडीह	पंकज पांडे
23.	कमलेश पासवान 9661736012	श्रीरामपुर	कमलेश पासवान
24.	उपेन्द्र पाण्डेय 9934680183	B T B बिगहा	उपेन्द्र पाण्डेय
25.	रामसखी कुमार 8757294199	Barma.	रामसखी
26.	राजा कुमार 7970543599	बरमा	राज कुमार
27.	Tinku Singh 9162807332	समोद बिगहा	Tinku Singh
28.	Ujjwal Kr 9504483065	Samodbigha	Ujjwal Kr
29.	मनीष कुमार 9523013922	बि० टी० बिगहा	मनीष कुमार
30.	धर्मेन्द्र कुशवाहा 9801664661	अजपो० श्रीरामपुर	धर्मेन्द्र कुशवाहा

31.	Deepak Pd- Singh 9931850152	Village- B.T. Bigha P.S.- Sherghati Dist - Gaya	Deepak Pd Singh
32.	8084316213 उपेन्द्र यादव	Village - Ropat Sherghati Dist Gaya	उपेन्द्र यादव
33.	Ravindra Kumar Verma 9973211541	Amas Gaya	RKV
34.	Raju Yadav 9304436315	नकटुआ	RKY
35.	उमेश प्रसाद सिंह 9431066501	महमदपुर	[illegible]
36.	रंजन कुमार 8709152051	कमात	Ranjan Kumar
37.	अजय मउआर 7799078396	नकटुआ	अजय
38.	चन्दन कुमार 9122663437	कमात	चन्दन कुमार
39.	Vikash Kumar 7033663578	नया बाजार	Vikash Kumar
40.	दिपक कुमार 7779999097	नया बाजार	Dipak.
41.	श्यामकान्त शर्मा 7979880533	पेपापुर	[illegible]

42.	Sanjay Kumar	Samodh bigha.	[signature]
43.	Pawan kumar	Sherghati	[signature]
44.	Amarjeet kumar 8507177242	Maramad Pur	Amarjeet kum
45.	PIYUSH SINGH 7970943116	महम्मदपुर	PIYUSH SINGH
46.	Suraj Kumar 7488242637	MAHAMMADPUR.	[signature]
47.	सुरेश कुमार नायक 6200926273	महमदपुर	सुरेश कु० नायक
48.	अशोक कुमार सिंह 8860654461	समोदबीघा	[signature]
49.	राजीव रंजन 9304529324.	Sherghati.	[signature]
50.	आनन्द राठौर 9113455781	Sherghati	Anand Rathore